



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2012/फाल्गुन 19, 1933

No. 354]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2012/PHALGUNA 19, 1933

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2012

का.आ. 397(अ).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 3 के उप-खंड (i) के अनुसरण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 706(अ), तारीख 29 मार्च, 2010 में संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में स्पष्टीकरण 1 में "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क", शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, प्रतिशुल्क" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1-1/2010 उर्वरक विधि]

ई. के. माज़ी, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का.आ. 706(अ), तारीख 29 मार्च, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्पूर्वी अधिसूचना सं. का.आ. 588(अ), तारीख 18 मार्च, 2011 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

ORDER

New Delhi, the 7th March, 2012

S.O. 397(E).—In pursuance of sub-clause (1) of clause 3 of the Fertiliser (Control) Order, 1985, the Central Government hereby amends the notification number S.O. 706(E), dated 29th March, namely:—

In the said notification in Explanation 1, for the words "the Central Excise Duty" the words "Central Excise Duty, Countervailing Duty" shall be substituted.

[F. No. 1-1/2010 Fert. Law]

E. K. MAJHI, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide No. S.O. 706(E), dated 29th March, 2010 and subsequently amended vide Notification number S.O. 588(E), dated 18th March, 2011.